इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 231]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 मई 2017—ज्येष्ठ 1, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 मई 2017

क्र. 8464-105-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक १ सन् २०१७

मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, २०१७

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', में दिनांक २२ मई, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया]

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, २००४ को संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत:, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

और यत: भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेश प्राप्त कर लिए गए हैं.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, २०१७ है.

मध्यप्रदेश अधिन्यम क्रमांक २० सन् २००४ का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना. २. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालाविध के दौरान, मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, २००४ (क्रमांक २० सन् २००४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा ३ से ४ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात:—

''(झ क) ''प्लास्टिक थैलियों'' से अभिप्रेत है, वस्तुओं को ले जाने अथवा वितरण के प्रयोजन हेतु उपयोग किए जाने वाली किसी प्लास्टिक सामग्री से बनायी गयी थैलियां, किन्तु इसमें वे थैलियां सिम्मिलित नहीं हैं जो पैकेजिंग के आवश्यक भाग के रूप में निर्मित होती है या बनती हैं, जिसमें माल को उपयोग से पूर्व सीलबंद किया जाता है.:

परन्तु वह थैली जिसका उपयोग पैकेजिंग के लिए किया जाता है, यदि वह पुन: चक्रित की गयी है तो वह प्लास्टिक थैली के रूप में मानी जाएगी;''.

धारा ३ का प्रतिस्थापन. ४. मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

प्लास्टिक थैलियों के उपयोग का प्रतिषेध.

"3. राज्य सरकार, यदि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझती है तो प्लास्टिक थैलियों या पात्रों की मोटाई को उनके उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग के लिए अधिसूचित कर सकेगी, या अधिसूचना द्वारा, सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी भाग में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगा सकेगी.".

भोपाल : दिनांक १८ मई, २०१७

ओम प्रकाश कोहली राज्यपाल, मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 22 मई 2017

क्र. 8464-105-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 1 of 2017

THE MADHYA PRADESH JAIV ANAASHYA APASHISHTA (NIYANTRAN) SANSHODHAN ADHYADHESH, 2017.

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 22nd May, 2017.]

Promulgated by the Governor in the sixty-eighth year of the Republic of India.

An Ordinance to amend the Madhya Pradesh Jaiv Anaashya Apashistha (Niyantran) Adhiniyam, 2004.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

AND WHEREAS the previous instructions of the President have been obtained as required by the proviso to clause (1) of article 213 of the Constitution of India.

Now. Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Jaiv Anaashya Apashishta (Niyantran) Sanshodhan Adhyadesh, 2017.

Short title.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Jaiv Anaashya Apashista (Niyantran) Adhiniyam, 2004 (No. 20 of 2004) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in Sections 3 to 4.

Madhya Pradesh Act No. 20 of 2004 to be temporarily amended.

3. In Section 2 of the principal Act, after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:—

Amendment of Section 2.

"(ia) "plastic carry bags" means bags made from any plastic material used for the purpose of carrying or dispensing commodities, but do not include bags that constitute or from an intergral part of the packaging in which goods are sealed prior to use:

Provided that the bag which is used for packaging shall be treated as plastic carry bag, if it is re-cycled;".

4. For Section 3 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

Substitution of Section 3.

"3. The State Government may, if it consider necessary so to do in the public interest, notify the thickness of plastic carry bags or containers, for the production, storage, transportation, sale and use thereof, or by a notification, completely ban the production, storage, transportation, sale and use of plastic carry bags in the entire State or any part of the State."

Prohibition on usage of plastic. carry bags.

Bhopal:

Dated the 18th May 2017

OM PRAKASH KOHLI Governor, Madhya Pradesh.